न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2024	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण बनाम हीरालाल पुत्र रामचन्द्र रैगर किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 32/2019 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 154/2015 उनवानी सरकार बनाम हीरालाल में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2017 के अनुसार प्रकरण में अप्रार्थी हीरालाल पुत्र रामचन्द्र रैगर की मृत्यु होने पर प्रकरण तहसीलदार लवाण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि अप्रार्थी हीरालाल पुत्र रामचन्द्र रैगर के कायम मुकाम की जांच कर संशोधित टाइटल के साथ रेफरेन्स अपेक्षित दस्तावेजात सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें, किन्तु तहसीलदार लवाण द्वारा अप्रार्थी के कायम मुकाम की जांच किये बिना एवं संशोधित टाइटल के बिना ही रेफरेन्स प्रकरण पुनः मृत व्यक्ति के विरूद्ध ही इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। तहसीलदार लवाण को मृतक हीरालाल पुत्र रामचन्द्र के कायम मुकामान की सूचना एवं तलवी हेतु सही पते की सूचना भिजवाने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार लवाण द्वारा ना तो मृतक हीरालाल के कायम मुकामान की सूचना पेश की गई ना ही संशोधित टाइटल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस कारण से प्रकरण काफी समय से न्यायालय में लम्बित चल रहा है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार लवाण को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थी हीरालाल पुत्र रामचन्द्र रैगर के वारिसान की जांच कर संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:27:48 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official